


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2021/ दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2020/203 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प.24 (13)/चिस्वा./गुप-3/2009 दिनांक 25.02.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 5853/2020 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.07.2020 की पालना में Suryansh Nursing School, Plot No. 41, Hira Nagar, Santosh Nagar, Opp New Atish Mkt, Gopalpura Bye Pass, Jaipur को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की काउंसलिंग के लिए 60 सीट हेतु जारी आदेश को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.24 (13)/चिस्वा./गुप-3/2009 दिनांक 22.03.2021 की पालना में तुरन्त प्रभाव से एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

उक्त संस्थान को पूर्व की भांति 30 सीटों पर ही छात्र आवंटित किये जावेंगे।



(डॉ० संजय सक्सेना)
संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज०, जयपुर

दिनांक : 23-3-2021

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2021/235

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविकट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, जयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करे।
7. उप प्रबंधक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज०, जयपुर